कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक,
   हरियाणा राज्य परिवहन।
2. उड़नदस्ता अधिकारी,
   आई0एस0बी0टी0–दिल्ली।

क्रमांक 379 /टी0आई–3 दिनांक 5-9-2014

विषयः बसों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों के नम्बर निर्धारित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको ज्ञात है हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में विभिन्न श्रेणियों हेतु निम्नानुसार सीटें आरक्षित की गई हैं:—

क्र0 सं0	श्रेणी	सीटों की संख्या	आरक्षित सीटों का विवरण	टिप्पणी
1	सांसद / विधायक / पूर्व सांसद / पूर्व विधायक	2	अगली खिड़की के पीछे वाला दो सीटों वाला बैंच (टाटा एवं लेलैण्ड दोनों टाईप की बसों में)	परिवहन आयुक्त के पत्रांक 3106–26 / टी0 आई0–3 / दिनांक 12.07.2007 द्वारा
2	स्वतन्त्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिक / विकलांग	3	चालक सीट के पीछे तीन सीटों वाला बैंच (टाटा एवं लेलैण्ड दोनों टाईप की बसों में)	
3	महिलाएं	15	सांसद / विधायक / पूर्व सांसद / पूर्व विधायक / स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिकों / विकलांगों के पीछे दो एवं तीन सीटों वाले लगातार तीन–तीन बैंच (टाटा एवं लेलैण्ड दोनों टाईप की बसों में)	

उपरोक्त अनुसार सीटें आरक्षित करते समय सीटों के नम्बर निर्धारित नहीं किए गए हैं जिसके कारण अलग–2 डिपूओं में अलग–2 सीट नम्बर निर्धारित किए जा रहे हैं। उक्त की वजह से यात्रियों को असुविधा होती है तथा कई बार आरक्षित सीट को लेकर झगड़े भी होते हैं। विभाग में साधारण बसों में भी ए0सी0 बसों की तर्ज पर ऑन–लाईन बुकिंग की सुविधा शुरू करने बारे विचार किया जा रहा है जिसके लिए भी आरक्षित सीटों के नम्बर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। अतः मामले पर विचारोपरान्त विभिन्न श्रेणियों के लिए साधारण बसों में निम्नानुसार सीट नम्बर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षित सीट नं0
1	स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिक / विकलांग	4 से 6
2	सांसद / विधायक / पूर्व सांसद / पूर्व विधायक	10 से 11
3	महिलाएं	7 से 9, 12 से 21 तथा 25 से 26

अतः सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी साधारण बसों में सीटों पर आरक्षित श्रेणियों बारे तदानुसार लिखवाना सुनिश्चित करें।

5/9/14

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़

पृ0 क्रमांक 380 /टी0आई–3 दिनांक 5-9-14

इसकी एक–2 प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5/9/14

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़